कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक 1669/14- दिनॉक, कानपुर, नवम्बर 14 2017

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–1)
कानपुर विकास प्राधिकरण
कानपुर नगर

विषयः– कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्यानपुर से बिठूर तक) चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8 बी /यू0पी0 /06/19/2017/एफ0सी0/569 दिनांक–06.11.2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के आधीन सैद्यान्तिक स्वीकृति भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रशीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. **बिन्दु संख्या–1** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 12.022 हे0 में दस वर्षो तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1,01,18,904/–(एक करोड़ एक लाख अट्ठारह हजार नौ सौ चार मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. **बिन्दु संख्या–2 क** के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 6.011 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 रू0 48,26,833/– (अड़तालिस लाख छब्बीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

   बिन्द संख्या–2 ख के अनुसार क्षतिपूरक एवं एन0पी0वी0 की वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

   बिन्द संख्या–2 ग के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन0पी0वी0 की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. **शर्त संख्या–03** के अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने तथा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखे जाने हेतु रू0 250000/– (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की आवश्यकता होगी जिसे प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर के नाम बैंक ड्राप्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. **बिन्दु संख्या–4** प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) सेन्ट्रल जोन बेंच,

J.E. Sr. Pandey C.B.
कृपया ध्यान जमा करनेहेतु प्रदान करें

अ. 14/11/17
जोन–1

भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या– 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वंय के व्यय पर वन विभाग के दिशा निर्देशों में सड़क के दोनो तरफ तथा Median पर यदि उपलब्ध है तो वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. **बिन्दु संख्या–5** प्रयोक्ता अभिकरण मक डिसपोजल योजना तैयार कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. **बिन्दु संख्या–6** प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या एवं प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0एस0श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

dfokanpurnagar@gmail.com